**माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–07.05.2025 एवं 08.05.2025 को अधिवेशन भवन, पुरानी सचिवालय, बिहार, पटना में अपर समाहर्त्ताओं/भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं/अंचलाधिकारियों की दो दिवसीय राज्यस्तरीय बैठक की कार्यवाही :–**

उपस्थिति–यथापंजी में संधारित

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–07.05.2025 एवं 08.05.2025 को अपर समाहर्त्ताओं/भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं/अंचलाधिकारियों की दो दिवसीय राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव/सचिव एवं विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

(1) इस समीक्षात्मक बैठक में अपर मुख्य सचिव एवं विभाग के सभी वरीय पदाधिकारियों द्वारा अपर समाहर्त्ताओं/भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं/अंचलाधिकारियों से राजस्व संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा किया गया एवं महत्वपूर्ण निदेश दिये गये।

(2) दिनांक–07.05.2025 को मगध प्रमण्डल, सारण प्रमण्डल, मुंगेर प्रमण्डल, पटना प्रमण्डल एवं दिनांक–08.05.2025 को तिरहूत प्रमण्डल, भागलपुर प्रमण्डल, कोशी प्रमण्डल, पूर्णिया प्रमण्डल एवं दरभंगा प्रमण्डल के अपर समाहर्त्ताओं/भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं/ अंचलाधिकारियों द्वारा आयोजित समीक्षात्मक बैठक में भाग लिया गया, जिसमें निम्न पदाधिकारी अनुपस्थित पाये गये :–

| अपर समाहर्त्ता, | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता | अंचलाधिकारी |
|---|---|---|
| बक्सर, नालंदा, गोपालगंज, अररिया पूर्वी चम्पारण | बिहारशरीफ, राजगीर, हिलसा, औरंगाबाद, दाउदनगर, बेगूसराय, मंझौल, बखरी, पूर्णिया सदर, बनमंखी, धमदाहा, मनिहारी, मधेपुरा, उदाकिशनगंज | बेलागंज (गया), मखदुमपुर (जहानाबाद), दिघवारा, बड़हरिया (सारण) मंझा (गोपालगंज), बलिया (बेगूसराय), बरहट (जमुई), बरबीघा एवं घाट कुशुम्भा (शेखपुरा), पीरो (भोजपुर) पटना सिटी (पटना), विक्रमगंज (रोहतास), गायघाट (मुजफ्फरपुर), वैशाली एवं चेहरा कला (वैशाली), अरेराज, पहाड़पुर एवं संग्रामपुर (पूर्वी चम्पारण) खरीक (भागलपुर), बरहट एवं बेलहर (बांका) पूर्णिया पूर्वी, डगरूआ (पूर्णिया), पलासी, सिकटी एवं नरपतगंज (अररिया), दण्डखोड़ा, फलका, हसनगंज, कोढ़ा एवं कदवा (कटिहार), जाले एवं, बेनीपुर (दरभंगा) सभी अंचलाधिकारी (नालंदा) |

उपरोक्त पदाधिकारी बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित थें। अनुपस्थित पदाधिकारियों से कारणपृच्छा करने का निदेश दिया गया।

(3) माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक–07.05.2025 को " गजेटियर–कम–एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार" नाम पुस्तक–सह–एटलस का औपचारिक विमोचन श्री विवेक कुमार सिंह, अध्यक्ष रेरा एवं तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, अपर मुख्य सचिव एवं सचिव के उपस्थिति में किया गया।

साथ ही दिनांक–08.05.2025 को " राजस्व शिकायत प्रबंधन प्रणाली" पोर्टल का माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय ने पोर्टल को बिहार सरकार की ई–गर्वनेंस की दिशा में एक मजबूत एवं पारदर्शी पहल बताया। यह प्रणाली विभागीय प्रक्रियाओं को सुव्यस्थित बनायेगी और शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता लायेगी।

(4) बैठक में उपस्थित अपर समाहर्त्ताओं/भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं/ अंचलाधिकारियों को माननीय मंत्री द्वारा यह निदेश दिया गया कि विभाग के दिशा–निदेशों का अनुपालन सही ढंग से हो। राजस्व संबंधी कार्यो के निष्पादन में गुणवत्ता एवं समय–सीमा का अनुपालन किया जाय। अंचल कार्यालयों से लोगों की विशेष अपेक्षा होती है। उनके कार्यो का निष्पादन सही तरीके से ससमय हो, इसके लिए आवश्यक है कि अंचल में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों/कर्मी लोगों के प्रति संवेदनशील हो, सहानूभूति का भाव रखे एवं उनके शिकायतों का निवारण तत्परतापूर्वक करें।

इसी क्रम में मंत्री महोदय ने अपर समाहर्त्ताओं/भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को यह निदेश दिया कि अंचल कार्यालयों का समय–समय पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जाय। अंचल कार्यालय में लंबित ऑनलाइन राजस्व मामलें यथा–म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा, ई–मापी आदि का अनुश्रवण सही ढंग से हो ताकि इनके निष्पादन की गति एवं गुणवता बनी रहे। तभी सच्चे अर्थ में आम जनता को न्याय मिल पायेगा।

साथ ही साथ बैठक में उपस्थित सभी अपर समाहर्त्ताओं/भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं/अंचलाधिकारियों को जनसंवाद अभियान शुरू होने की सूचना दी गई। इस अभियान के तहत राज्य के विभिन्न जिलों/अंचलों में माननीय मंत्री महोदय द्वारा राजस्व संबंधी कार्यो एवं जन शिकायत की समीक्षा की जायेगी। इस अवसर पर विभाग के वरीय पदाधिकारीगण भी मंत्री महोदय के साथ उपस्थित रहेंगे।

(5) समीक्षा के क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा विभागीय पत्रांक के आलोक में सभी अपर समाहर्त्ताओं/भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं/अंचलाधिकारियों से 05 अभियानों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं महत्वपूर्ण निदेश दिये गये :–

(I) विभागीय पत्रांक–1426 दिनांक–05.06.2024 के आलोक में ऑनलाइन डिजिटाईड जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों/त्रुटियों के सुधार का निदेश "परिमार्जन प्लस" पोर्टल से किये जाने का निदेश दिया गया ।

(II) विभागीय पत्रांक–2153 दिनांक–08.08.2024 के आलोक में परिमार्जन प्लस पोर्टल पर डिजिटाईज्ड जमाबंदी में परिलक्षित अशुद्धियों/त्रुटियों के सुधार की प्रक्रिया को सुगम बनाने का निदेश दिया।

(III) विभागीय ज्ञापांक–2397 दिनांक–28.08.2024 के आलोक में बिहार भूमि पोर्टल पर डिजिटाईज्ड नहीं किये गये जमाबंदी को "परिमार्जन प्लस" पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किये जाने का निदेश दिया गया।

(IV) विभागीय पत्रांक–168 दिनांक–20.01.2025 द्वारा बिहार भूमि पोर्टल पर डिजिटाईज्ड किये गये जमाबंदी में मौजा संबंधी परिलक्षित त्रुटियों को सुधार किये जाने से संबंधी निदेश दिये गये।

(V) विभागीय पत्रांक–597 दिनांक–01.03.2025 का समीक्षा करते हुए ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त दाखिल–खारिज याचिकाओं के निष्पादन के उपरांत दृष्टिगोचर लिपिकीय/गणितीय त्रुटियों के सुधार करने का निदेश दिया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव ने समीक्षा के क्रम में यह निदेश दिया कि समस्या को समझकर उनका समाधान किया जाय। जमाबंदी कायम करने से पहले उपलब्ध दस्तावेज/अभिलेखों का Cross Verificaton किया जाना आवश्यक है।

(VI) समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव ने सभी अंचलाधिकारियों को अचंल कार्यालय में Common Service Centre (CSC) हेतु 200Sq feet जगह मुहैया कराने का निदेश दिया गया, ताकि राजस्व संबंधी कार्यो यथा ऑनलाइन इन्ट्री हेतु आमजन को अन्यत्र नहीं जाना पड़े।

**बैठक में PPT के माध्यम से उपलब्ध ऑकड़ों के आधार पर निम्न विषयों की समीक्षा की गई :–**

(1) **दाखिल–खारिज** :–पी0पी0टी0 के माध्यम से म्यूटेशन की विस्तृत समीक्षा की गई। इसमें Scrutinizing Mutation के मामलें में ऊचकागांव एवं पंचदेउरी, (गोपालगंज), फारबिसगंज (अररिया), बैरिया एवं चनपटिया (प0 चम्पारण), दंडखोरा (कटिहार) में 50 प्रतिशत से अधिक मामलें लंबित पाये गये। उक्त मामलें में सचिव द्वारा कारणपृच्छा का निदेश दिया गया। इसी क्रम में हुलासगंज (जहानाबाद), धरहारा, बरियारपुर (मुंगेर), दुल्हिन बाजार (पटना), मोहनपुर (समस्तीपुर), कटोरिया (बांका) सहदेईबुजुर्ग (वैशाली) में म्यूटेशन वादों का निष्पादन 10 प्रतिशत से भी कम पाया गया। इस पर अपर मुख्य सचिव द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई एवं उपरोक्त सभी अंचल अधिकारियों से कारणपृच्छा करने का निदेश दिया गया। साथ ही यदि कारणपृच्छा संतोषजनक नहीं पाया गया तो विभागीय कार्रवाई संचालित करने का निदेश भी दिया गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुशहरी एवं कांटी (मुजफ्फरपुर), रानीगंज (अररिया), पूर्णिया पूर्वी सदर (पूर्णिया), गया सदर एवं बोधगया (गया), सासाराम (रोहतास) में म्यूटेशन के अत्यधिक मामलें समय–सीमा बीत जाने के बाद भी लंबित है। इस संबंध में सचिव द्वारा यह निदेश दिया गया कि सभी मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन कर 15 दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करें।

इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव द्वारा यह निदेश दिया गया कि अंचल में राजस्व–संबंधी कार्यो के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित राजस्व कर्मचारी के साथ साप्ताहिक बैठक सुनिश्चित करें, खासकर वैसे राजस्व कर्मचारी जिनका प्रदर्शन अत्यंत खराब हैं। साथ ही समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि अंचल–अकबरपुर, (नवादा) द्वारा 75 प्रतिशत से अधिक मामलों को रिजेक्ट किया गया है। इस पर अपर मुख्य सचिव द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई एवं संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को अंचलाधिकारी अकबरपुर के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(2) **परिमार्जन प्लस** :–परिमार्जन प्लस के रिपोर्ट का पी0पी0टी0 के माध्यम से समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में 12 वैसे अंचल यथा– औरंगाबाद सदर (औरंगाबाद), दीदारगंज, पुनपुन, बिहटा (पटना), अकबरपुर (नवादा), चक्की (बक्सर), राजगीर (नालंदा),

पूर्णिया पूर्वी (पूर्णिया), कुरसेला (कटिहार), रोसड़ा (समस्तीपुर), भगवानपुर (वैशाली), जोगापट्टी (प0 चम्पारण) अंचल में परिमार्जन प्लस के माध्यम से निष्पादन अपेक्षाकृत कम रहा है। इन जिलों में Revert की संख्या भी अत्यधिक रही है। इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि जिस स्तर पर मामलों को लंबित रखा गया है। उससे संबंधित पदाधिकारी/कर्मी से कारणपृच्छा की जाय। यदि कारणपृच्छा संतोषजनक नहीं रहा तो विभागीय कार्यवाही संचालित करना सुनिश्चित की जाय।

इसी क्रम में सात वैसे अंचल यथा–औरंगाबाद, भोरे (गोपालगंज), चौगाई (बक्सर) सम्पतचक (पटना), कृत्यानंदनगर (पूर्णिया), रंगराचौक (भागलपुर), सिकटा (प0 चम्परण) जिनका कम्प्यूटराइजेशन से छूटे हुए जमाबंदी में निष्पादन का प्रतिशत औसत से काफी कम रहा है। उक्त के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि Camp Mode में Pendency का निष्पादन सुनिश्चित किया जाय।

(3) **अंतिम लगान विवरणी अद्यतनीकरण** :– पी0पी0टी0 के माध्यम से प्रस्तुतीकरण की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि गोपालगंज सदर, बैकुठपुर (गोपालगंज), जलालपुर (सारण), गोगरी (खगड़िया), पूर्णिया पूर्वी (पूर्णिया), नौहट्टा (सहरसा), रक्सौल (पूर्वी चम्पारण) अंचलों में लगान अद्यतनीकरण हेतु जमाबंदी के मामलें अत्यधिक संख्या में लंबित हैं

उक्त मामलों में अपर मुख्य सचिव ने अभियान चलाकर लंबित मामलों का निष्पादित करने का निदेश दिया। साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव ने अपर समाहर्त्ता, दरभंगा एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी को बकास्त/गैरमजरूआ भूमि से संबंधित मामलों को निष्पादित करने का निदेश दिया।

(4) **सरकारी भूमि के जमाबंदी की जाँच :–** पी0पी0टी0 के माध्यम से प्रस्तुत ऑकड़े में कुल सात (07) ऐसे अंचल यथा–बड़हरा (भोजपुर), दीदारगंज, धनरूआ, दुल्हिन बाजार, पाटलिपुत्रा, पटना सिटी, पुनपुन (पटना) जहॉ सरकारी भूमि के प्लॉट का वेरिफिकेशन शून्य है।

इस मामलें में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि यहॉ सिर्फ अभिलेखों/खतियान के आधार पर जॉच से ही मामलें का निपटारा होता है। अतः इसमें विलम्ब उचित नहीं है। साथ ही साथ उन्होनें यह निदेश दिया कि इसे इस माह के अन्त तक पूर्ण कर ली जाय ताकि इसमें अगले चरण का कार्य शुरू किया जा सके। इसमें सरकारी भूमि के गलत ढंग से किये गये जमाबंदी की जॉच करने का निदेश निर्गत है। यदि जॉच के क्रम में किसी

प्रकार की गड़बड़ी परिलक्षित हो तो जिस स्तर पर त्रुटि किया गया है, वैस पदाधिकारी/कर्मी पर विभागीय कार्रवाई संचालित की जाय एवं सेवानिवृत पदाधिकारी कर्मी के विरूद्ध FIR दर्ज कराई जाय एवं तत्संबंधी सूचना विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाय।

इसी क्रम में सिमरी बख्तियारपुर एवं सुगौली के अंचलाधिकारी ने बताया कि RO Login में डाटा Show नहीं हो रहा है। इस समस्या के तकनीकी समाधान हेतु आई0टी0 मैनेजर को निदेश दिया गया।

(5) **अभियान बसेरा–2** यह योजना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। पी0पी0टी0 प्रस्तुतीकरण के समीक्षा के क्रम में फतुहा, दनियांवा, बाढ़, बिहटा (पटना), हथुआ (गोपालगंज), लखीसराय, चानन (लखीसराय) इत्यादि अंचलों में सर्वेक्षित लाभूकों को भूमि आवंटन का प्रतिशत अत्यंत न्यून है। इस मामलें में गंभीर चिन्ता व्यक्त की गई। साथ ही अपर मुख्य सचिव द्वारा हथुआ (गोपालगंज)–अंचलाधिकारी को इस मामले में कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया।

इसी क्रम में सर्वेक्षित लाभूकों के Rejection को लेकर गंभीर सवाल उठाये गये। साथ ही सौर बाजार, सोनवर्षा (सहरसा), जगदीशपुर (भागलपुर) एवं बगहा 2 अंचलों में Rejection के मामलों अत्यधिक पाये जाने एवं संबंधित अंचलाधिकारियों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिये जाने के कारण जगदीशपुर (भागलपुर) के राजस्व अधिकारी, श्री नागेन्द्र कुमार एवं बगहा–2 (पश्चिम चम्पारण) के अंचल अधिकारी, श्री निखिल को निलम्बित करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह निदेश दिया गया कि सौर बाजार, सोनवर्षा (सहरसा) एवं वैसे सभी अंचलों से स्पष्टीकरण पूछा जाय एवं कारण सहित रिपोर्ट/प्रतिवेदन की मांग की जाय।

समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि जयनगर (मधुबनी) के अंचलाधिकारी को आपदा कार्य ससमय निष्पादित नहीं करने के कारण कारणपृच्छा करने का निदेश दिया गया। यथोचित कारण न होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जाय।

(6) **सरकारी भूमि का दाखिल–खारिज** :–पी0पी0टी0 के प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि 90 अंचल ऐसे है, जिन्होंने अभी तक सरकारी भूमि के दाखिल–खारिज के कार्य की शुरूआत भी नहीं की है। इसपर अपर मुख्य सचिव द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की

गई । साथ ही साथ संबंधित अंचल को अभियान चलाकर सरकारी भूमि का दाखिल–खारिज के कार्य को पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(7) **ई–मापी :–** पी0पी0टी0 के माध्यम से ई–मापी संबंधित कार्यो की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भितहा (प0 चम्पारण), बेनिपुर (दरभंगा), सबौर (भागलपुर), सम्पतचक (पटना), लखीसराय एवं बरियारपुर (मुंगेर) अंचल द्वारा ई–मापी से संबंधित कार्य का निष्पादन औसत से काफी कम किया गया है। इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई और निदेश दिया गया कि ई–मापी निष्पादन का कार्य औसत से कम करने वाले अंचल में पदस्थापित संबंधित पदाधिकारी/कर्मी से कारणपृच्छा की जाय।

**अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।**

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

**बिहार सरकार**
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

ज्ञापांक–10/सम0 (विभागीय मंत्री बैठक कार्यवाही)–43/2024— 833 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक–26/6/25

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार/सभी अंचलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Fax/
E-mail

25/6/25
(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (विभागीय मंत्री बैठक कार्यवाही)–43/2024— 833 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक–26/6/25

प्रतिलिपि–निदेशक, तीनों निदेशालय/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/6/25
(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–10/सम0 (विभागीय मंत्री बैठक कार्यवाही)–43/2024— 833 (10)/रा0, पटना–15, दिनांक–26/6/25

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सभी सचिव के आप्त सचिव/कोषांग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/6/25
(अरूण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।